



मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 4-12-86 को प्रालः ॥ बने से  
प्राधिकरण कार्यालय देहरादून में हुई बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थितः

- 1- श्री एस0एस0पंगती, अपुक्त गढवाल मण्डल, अहम, उपअहम,
- 2- श्री प्रताप सिंह, उपअहम,
- 3- श्री रामबालू, विशेष सचिव आवास एवं नगर विकास सदस्य  
विभाग, लखनऊ
- 4- श्री हरेकृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम सदस्य  
नियोजन विभाग, उ0प्र0
- 5- श्री एस0आर0कुमारेती, अपर जिलाधिकारी प्रशासन  
देहरादून प्रतिनिधि सदस्य
- 6- श्री के0एल0शाह सहायक निदेशक पर्यटन प्रतिनिधि सदस्य
- 7- श्री विजेन्द्र प्रसाद, उप जन संरक्षक, देहरादून प्रतिनिधि सदस्य
- 8- श्री एम0बी0सिंह, जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र  
देहरादून । सदस्य

विशेष आमीत्रतः

- 1- श्री द्वारिका नाथ धवन
- 2- श्री एस0पी0उनिवाल, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण, देहरादून ।
- 3- श्री विनोद शर्मा परगना मजिस्ट्रेट, मसूरी ।
- 4- श्री यू0डी0चौबे, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
- 5- श्री आर0पी0सिंह, संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,



सरपलत की गयी है तथा जिनके बारे में कोई विवरण नहीं चल रहा है ।

### विवरण प्राप्त होने पर

विकास प्राधिकरण यह तय करेगा कि उनमें से कौन-कौने से भूखण्ड विकास प्राधिकरण द्वारा किस योजना के लिये प्राप्त किये जाय । संवृत निर्देशक से यह भी अपेक्षा की गई कि भविष्य में जो भी भूमि सरपलस घोषित होती है उसका विवरण विकास प्राधिकरण को भी भेजा जाय ।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन से अपेक्षा की गई कि उपरोक्त की अधिसूचना में 28-10-86 को ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण व उसके सुनियोजित उपयोग के सम्बन्ध में जो बैंक हुई थी उसके निर्णयों के अनुपालन में निर्देश जारी करें और अगली बैंक तक उन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

अपर जिलाधिकारी से यह भी अपेक्षा की गई कि प्राधिकरण हित में 12, प्रीतन रोड, राजपुर रोड व निरंजनपुर में भूमि अध्यापिन की जो कार्यवाही चल रही है उसमें शीघ्र प्राधिकरण को भूमि का कब्जा दिलाने के लिये आवश्यक विधिपत्रवां जारी करवाये । इन मामलों में ही रही बिलम्ब में चिन्ता प्रकट की गई और यह आशा की गई कि अगली बैंक तक स्थिति में सुधार होगा ।

भारतीय वन अधिनियम को देहरादून नगरपालिका क्षेत्र में लागू करने पर पुनः बल दिया गया । इस सम्बन्ध में शासन को पुनः संदीभित किया जाय ।

विषय क्रमांक: 2-

15 नवम्बर, 1986 तक की कार्य प्रगति ।

15 नवम्बर 1986 तक के कार्य प्रगति का अवलोकन किया गया और इसके बाद 30-11-86 तक हुई प्रगति भी बैंक में बताई गई । इस बात पर जोर दिया गया कि निर्बल वर्ग के आवासों के निर्माण का लक्ष्य 31 मार्च 1987 तक पूरा कर लिया जाय और जो 45 मकान बनकर तैयार हो गये है उनके आर्वांटन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय । प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति व भूमि की उपलब्धता की दिशा में प्रतिकर रेट अभी तक से तब न होने के कारण यह भी सुझाव दिया गया कि लक्ष्यों को पुनः संशोधन के लिये जिला स्तरीय 20 सूत्रीय समिति व जिलाधिकारी को लिखा जाय । राजपुर रोड तथा बस पिक केन्द्र व निरंजनपुर आवासीय योजना में प्रगति में लाने के लिये भूमि अध्यापिन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने की ओर अपर जिला अधिकारी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया ।

अनिश्चित निर्माण के अवशेष मामलों की संख्या बहुत अधिक बताई गई और उनके निस्कारण में शीघ्रता लाने पर जोर दिया गया ।

विषय क्रमांक:3-

बूना भट्टा ।

जिला राजकीय अभिवक्ता सिविल की राय पर भूमिगत विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये नोटिसों का क्रियान्वयन <sup>सूचना</sup> किया जाय और उन नोटिसों के विरुद्ध दायर किये गये वादों को वापस लिये जाने पर इन नोटिसों को भी वापस ले लिया जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में उपविधियों के बन जाने पर पुनः विचार किया जा सकता है ।

विषय क्रमांक:4:

नगर महायोजना में सड़कों की प्रस्तावित चौड़ाई में अनधिकृत निर्माणों के शमन हेतु नीति निर्धारण ।

महायोजना लागू होने के पूर्व किये गये अनधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में पहले ही निर्णय लिया ज चुका है । महायोजना लागू होने के बाद विभिन्न सड़कों के किनारे हुये अनधिकृत निर्माणों की संख्या व इन सबके गिराने से उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक कठिनाई को विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मुख्य सड़कों के किनारे अत्यधिक आपत्तिजनक व बड़े-बड़े निर्माणों को पहले हटाने के लिये कार्यवाही की जाय ।

विषय क्रमांक:5-

बलावन्ती धर्मशाला के निर्माण का शमन ।

इस धर्मशाला के धार्मिक व सामाजिक स्वरूप को देखते हुये शमन शुल्क 13556 रुपये से घटाकर ₹ 10,000 किया गया है ।

विषय क्रमांक-6:

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का पुनरीक्षण ।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

§1§ व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान्य विकास शुल्क का 100 प्रतिशत तक <sup>अधिक शुल्क</sup> लिया जाय ।

§2§ ऐसे क्षेत्रों में जो प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है वास्तविक वाह्य व आन्तरिक विकास शुल्क या 50 ₹ प्रति वर्गमीटर जो भी अधिक हो विकास शुल्क लिया जाय ।

§3§ पुराने निर्मित क्षेत्रों में 10 ₹ प्रति वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्र पर विकास शुल्क लिया जाय और परिवर्धन के मामलों में रुपये 5/- प्रति वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्र पर विकास शुल्क लिया जाय परन्तु परिवर्तन के मामलों

में विकास शुल्क लेना आवश्यक नहीं होगा ।

४४ ओबीओ ब्लॉक जिन में जहाँ नगरपालिका की सेवाये उपलब्ध नहीं है ₹0 12/- प्रति वर्गमीटर प्लॉट एरिया पर विकास शुल्क लिया जाय और जहाँ नगरपालिका की सेवाये उपलब्ध है बाई ₹0 7/- प्रति वर्गमीटर प्लॉट एरिया पर विकास शुल्क लिया जाय ।

देहरादून व मसूरी में पर्यटन की दृष्टि से होटलों के महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन हेतु पलिन्य एरिया व पार्किंग स्थल पर ही परिवर्तन शुल्क लिया जाय और सैट बैक वाले क्षेत्र को इसमें न गिना जाय । यह परिवर्तन शुल्क भूमि के मूल्य के बराबर ही होगा परन्तु भूमि का मूल्य शासन देश के अनुसार उपाधेश्वर द्वारा तय किया जायेगा ।

उपरोक्त निर्णय शासनादेश क्र संख्या 7254/11-5-86 दिनांक 29-10-86 को ध्यान में रखते हुए लिया गया जिसमें यह उल्लेख है कि क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए व विकास प्राधिकरण विकास शुल्क व परिवर्तन शुल्क के मामलों में व्यवस्था सम्मानित करने हेतु स्वतंत्र होंगे ।

विषय क्रमांक-7: तिब्बती बाजार में व्यावसायिक केन्द्र का निर्माण ।  
Awerdald (16/21/8) Mktg. Only Community & Local Field  
यह बताया गया कि शासन द्वारा सेटिडम की निर्माण परेड एरिया में ही स्वीकृत किया गया है यह निर्णय लिया गया कि परेड ग्राउन्ड में ही स्वीकृत किया गया है यह निर्णय लिया गया कि परेड ग्राउन्ड में बनने वाले स्टैडियम की चार दीवारी का निर्माण शुरू हो जाने पर तिब्बती बाजार में शेष दुकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

विषय क्रमांक:8- लक्ष्मण चौक, राजपुर रोड, डालनवाला तथा टाकपट्टी आवास योजना हेतु भूण लेने के लिये उपाधेश्वर को अधिकृत किया जाना  
प्राधिकरण द्वारा शुरू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिये उपयुक्त शीटों से भूण प्राप्त करने के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा उपाधेश्वर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया ।

विषय क्रमांक: 9- मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र का संशोधित जोनल प्लान ।  
प्राधिकरण के समक्ष एक नक्शा प्रस्तुत किया गया जिसमें रण क्षेत्र द्वारा 21-11-86 की बैक में स्वीकृत जोनल प्लान व शासन जोनल प्लान में अन्तर को दिखाया गया है । बरिस्ट नियोजक

बन्साया कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत जोनल प्लान में सड़कों की चौड़ाई 12 मीटर दिवाई गई थी जब कि यह चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये थी । इस पर उन्हें यह बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शे में जो सड़के दिवाई गई थी उनकी चौड़ाई 12 मीटर करने से कठिनाई उत्पन्न नहीं होती परन्तु शासन द्वारा स्वीकृत मानचित्र में सड़कों की लोकेशन बिल्कुल बदल दी गई है इसलिए बहुत गम्भीर कठिनाईयां उत्पन्न हो गई है क्योंकि इस बीच प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत जोनल प्लान के आधार पर लोगों ने प्लाट खरीदे और कुछ औद्योगिक इकाईयां भी स्थापित हो चुकी है । शासन द्वारा स्वीकृत मानचित्र में जिस प्रकार सड़के दिवाई गई वे अब इन प्लाट्स के बीच में आ गई है। यह आमतौर पर भी प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत जोनल प्लान में प्राधिकरण व लोगों की आपत्तियां सुने बिना संशोधन कर दिया जाना उचित नहीं था और प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत जोनल प्लान के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिये । श्री शर्मा वरिष्ठ नियोजक ने सुझाव दिया कि जो औद्योगिक इकाई अब तक लग चुकी है और जिनके नक्शे अब तक स्वीकृत कर दिये गये हैं उनको जोनल प्लान के नक्शे में अंकित कर दिया जाय ताकि उनको एडजस्ट करते हुये मानचित्र में संशोधन किया जा सके तदनुसार कार्यवाही करने का निर्णय हुआ । शासन को जोनल प्लान में संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है प्राधिकरण के इस निर्णय से शासन को अवगत करा दिया जाय ।

क्रमांक-10- मकान नं० 11 केवल विहार में श्रीमती प्रभा कपूर द्वारा प्राची प्रिन्टर्स के नाम से प्रिन्टिंग प्रेस लगाने की अनुमति के प्रार्थना-पत्र पर विचार ।

सचिव ने श्रीमती प्रभा कपूर का प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनकर जिसमें उन्होंने इस मामले को समन करने की प्रार्थना की है । पत्रावली में अभियंत्रण विभाग की जांच आख्या और एजेन्डा टिप्पणी में अन्तर बताया गया अतः इस मामले में फिर से जांच पड़ताल कर वास्तविक स्थिति ज्ञात करने का निर्णय हुआ ।

विषयक्रमांक: 11- वर्जन रोड, दुकान नं०22 पर श्री ए0आर0मान द्वारा प्रेस लगाने की अनुमति के प्रार्थना-पत्र पर विचार ।

इस मामले में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय हुआ है ।

विषय क्रमांक: 12- जी०ए०बी० कालेज रोड दुकान नं० ५ में विजय लक्ष्मी शर्मा द्वारा प्रेस लगाने की अनुमति के प्रार्थना-पत्र पर विचार ।

इस मामले में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने

का निर्णय हुआ है ।

विषयक्रमांक: 13- गाटा संख्या 315 हाथी बडकला भकान नं० 73/3 विजय

कालोनी में डेरी की स्थापना की अनुमति के प्रश्न पर विचार

साभारतख अवासीय कालोनी में डेरी लगाने की अनुमति देना  
उचित नहीं समझा गया । <sup>प्रस्ताव पर श्री गार्डिअर कालेज अधीनस्थ न डेरी २५८</sup>  
~~अनुमति~~ <sup>यहां</sup> ~~अस्वीकृत~~ किया गया ~~समाप्त~~ ~~शिवलक्ष्मी~~

विषय क्रमांक: 14- गसरान नं० 261 ग्राम हाथीबडकला में श्री राजेश चन्द्र द्वारा डेरी स्थापना हेतु आवेदन पत्र पर विचार ।

जिस स्थल पर डेरी की स्थापना प्रस्तावित है वह आवासीय भवनों से केवल 11 मीटर की दूरी पर है जब कि 15 मीटर की दूरी से कम पर अनुमति नहीं दी जा सकती है । अतः यह आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया ।

विषय क्रमांक: 15- प्राधिकरण में अभिलेखों के निरीक्षण तथा अभिलेख एवं मानचित्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु रेगुलेशनस ।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत रेगुलेशनस के आलेख को अनुमोदन प्रदान किया गया । परन्तु इसके कालम 6 में जो फीस निर्धारित की गई है राउन्ड कर दी गई है ।

विषय क्रमांक 16- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रेस्कॉर्स देहरादून में क्षेत्रीय प्रयोगशाला के प्रस्तावित निर्माण के लिये प्रार्थना पत्र पर विचार ।

इस आवासीय क्षेत्र में प्रयोगशाला की स्थापना उचित नहीं समझी गई और सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया गया ।

विषयक्रमिक: 17- प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के आर्गुमेन्ट के प्रश्न पर उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने से सम्बन्धित विषय:

यह विषय उपाध्यक्ष के विवेक पर छोड़ा गया। वे अपने विवेकानुसार प्रत्येक मामले पर विचार करते हुये शासन को प्रस्ताव भेज सकते हैं।

विषय क्रमांक: उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम के अन्तर्गत 18- प्राधिकरण के अधिकारों का प्रतिनिधायन।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 51-2 के अन्तर्गत प्राधिकरण कार्यों को शीघ्रता से सम्पादित करने के उद्देश्य से धारा 18, 33, 34, व 35 के अधिकार तथा नगर महायोजना में जीनिंग तथा सब-डिवीजन के अन्तर्गत प्राधिकरण की अनुमति से भू-उपयोग रची-कृत करने के अधिकार उपाध्यक्ष को प्रदान किये गये तथा धारा 39 के अन्तर्गत अधिकार प्राधिकरण में ही बने रहेंगे।

विषय क्रमांक: 19 मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के आवेदन पत्र के रजिस्टर का प्रपत्र विनियमावली 1987- प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत विनियमावली का आलेख को अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषयक्रमिक: 20 भवन भूखण्ड पंजीकरण एंव प्रदेशन विनियम। प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत विनियम का आलेख को अनुमोदन प्रदान किया गया।

0 विषय क्रमांक: 21- प्राधिकरण द्वारा बाह्य विकास शुल्क तथा पर्यवेक्षण शुल्क का लिया जाना। यह निर्णय लिया गया कि यदि कालोनाईज्ड आन्तरिक विकास कार्य रखे करते हैं तो उस कार्य को प्राधिकरण द्वारा पर्यवेक्षण हेतु आन्तरिक विकास शुल्क का 8 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में लिया जाना चाहिये परन्तु यदि आन्तरिक विकास कालोनाईज्ड द्वारा नहीं कराया जाना है और उक्त कार्य भी प्राधिकरण करता है तो ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षण शुल्क के

के रूप में 16 प्रतिशत लिया जाना चाहिये । यह भी निर्णय हुआ कि कालोनाईज-  
 र द्वारा आन्तरिक विकास कार्य रखने करने की स्थिति में उससे जमानत के रूप  
 में आन्तरिक विकास के व्ययानुमान की 10 प्रतिशत जमानत भी जमा कराई जानी  
 चाहिये और शस्यप्रतिशत धनराशि के लिये बैंक गारंटी भी ली जानी चाहिये  
 नाकि यदि कालोनाईजर आन्तरिक विकास कार्य निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक  
 रूप से नहीं कर पाता है तो उसी 10 प्रतिशत जमानत की राशि जब्त कर ली  
 जाय और सम्पूर्ण विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा कराये जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति  
 बैंक गारंटी से कर ली जाय । यह भी निर्देश दिये गये कि कालोनाईजर से इस  
 सम्बन्ध में जो अनुबन्ध किया जाय उसमें विभिन्न विकास कार्यों का पूर्ण विवरण  
 स्पष्टीकरण आदि होने चाहिये नाकि कालोनाईजर द्वारा किये गये कार्य की  
 वैकिका हो सके ।

विषय क्रमांक: 22- सचिव एवं संयुक्त सचिव/सम्पत्ति अधिकारी के अधिकारों  
 एवं कर्तव्यों से सम्बन्धित रेगुलेशन्स ।

प्राधिकरण के सम्बन्ध प्रस्तुत रेगुलेशन्स का आलेख को अनुमोदन

प्रदान किया गया ।

विषय क्रमांक: 23- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के नौन कन्फरिमा लैण्ड यूज  
 उपविधि-1987

प्राधिकरण के सम्बन्ध प्रस्तुत उपविधि के आलेख को निम्न

लिखित संस्तुतियों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :-

१ अथ धारा 2-क इस प्रकार रखा जाय " जब तक प्रस्तर में अन्यथा अपेक्षित नहीं है  
 इन उपविधियों में औद्योगिक इकाई का तात्पर्य सभी प्रकार के उन उद्योगों से है  
 जो <sup>1</sup> ~~उद्योग~~ बना लायू होने से पहले से स्थापित है ।

२ अथ धारा 4 निम्न प्रकार कर दिया जाय:-  
 "किसी भी नौन कन्फरिमा लैण्ड यूज के अर्जित भूमि का विभाजन अथवा

भूखण्डों पर एक से अधिक इकाई वृद्धि करने की अनुमति नहीं होगी ।

यह बनाया गया कि सुरादाबाद विकास प्राधिकरण में भी इस

सम्बन्ध में कुछ उपविधियाँ बनाई गई हैं उन उपविधियों का मिश्रण इन उपविधियों  
 से कर लिया जाय <sup>1</sup> ~~सुभरन्त~~ <sup>2</sup> ~~इसे~~ <sup>3</sup> ~~उत्तानी~~ <sup>4</sup> ~~अथ~~ <sup>5</sup> ~~में~~ <sup>6</sup> ~~रखे~~ <sup>7</sup> ~~गए~~ ।

195

विषय क्रमांक 24:- कुछ मुख्य कालोनीज में ... तुलक का पुसरीक्षण ।

यह निर्णय हुआ कि दिनांक 24-9-86 को लिये गये निर्णय सं० 12 में कोई परिवर्तन न किया जाए । तदनुसार जो प्रत्योवेदन प्राप्त हुए हैं, उनको निरस्त किया गया है ।

विषय क्रमांक: 25:- प्राधिकरण की बैठक अंतिमित करने एवं इसके संचालन हेतु रेगुलेशन ।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत रेगुलेशन के आलेख को निम्न-लिखित संस्तुतियों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :-

अ। सामान्य बैठकों के लिए नोटिस की अवधि 10 दिन होनी चाहिए, और अनाधारित बैठकों के लिए नोटिस की अवधि 3 दिन होनी चाहिए ।

ब। बैठक के लिए कोरम कुल 1/3 होना चाहिए, परन्तु वोट व भटायोजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों में कोरम 2/3 होना चाहिए ।

विषय क्रमांक: 26 :- देहरादून में टेलीफोन रखसंज के पत्र का प्रतिक्रिया परियोजना ।

प्राधिकरण ने इस परियोजना हेतु 50 हजार रुपये के व्यय को अनुमोदन प्रदान किया गया लेखा सुलभ न्याय हेतु उपर्युक्त को आर्किव क्रिया गया ।

विषय क्रमांक: 27 :- अजमेर कला में प्राधिकरण की हस्तान्तरित भूमि का दून घाटी कर्मचारी सहकारी आवास समिति के पक्ष में आर्बिटन ।

प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव पर सहमति प्रकट नहीं की,

और यह निर्देश दिया कि इस भूमि को निवर्तन वर्ग के व्यक्तियों के आवास हेतु प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाए, अथवा जिलाधिकारी ने बताया कि इस भूमि पर निवर्तन वर्ग के बहुत से व्यक्ति भूदान बनाने के इच्छुक हैं, बशर्ते कि रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल रु० 500/- कर दिया जाए और यदि कोई प्राथमिक भूदान स्वयं बनाना चाहता हो तो उसे भूदान का एक मॉडल उपलब्ध करा दिया जाए ।

विषय क्रमांक: 28:- सहस्रनाथराय मैन्यूफैक्चरिंग परियोजना ।

प्राधिकरण ने 80 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है और 50 वैसे प्रति व्यक्ति भी दर से टोल वसूल करने की भी स्वीकृति दी ।

भासुरी में कार पार्किंग का निर्माण

यह निर्णय लिया गया कि परियोजना रिपोर्ट और स्टीभेट प्रतिकरणा की अगली बैठक में रखा जाए, जिसमें यह भी तद्विषयत जाए कि इस परियोजना पर होने वाले व्यय की आपूर्ति कितने समय में हो जायेगी ।

विषय क्रमांक: 30 :- प्रतिकरणा में निर्माण कार्यों के संवाहन हेतु प्रश्रिया का निर्धारण ।

प्रतिकरणा के समक्ष निर्माण कार्यों के संवाहन हेतु

प्रश्रिया का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रश्रिया के आधार पर ही है । प्रतिकरणा ने इसे अनुमोदन प्रदान किया और यह भी निर्णय लिया कि इसका किसी भी नियम के रूप में बदलने के बजाय प्रशासकीय आदेशा के रूप में जारी किया जाए ।

विषय क्रमांक: 31 :- जनल प्लान की तैयारी ।

यह निर्णय लिया गया कि डालनबाला क्षेत्र

का जनल प्लान सबसे पहले बनवाया जाए । अन्य क्षेत्रों की प्राथमिकतायें समय-समय पर बदलती हुई स्थितियों को देखते हुए उपपेक्ष्य रखे स्वयं निर्धारित करेंगे ।

विषय क्रमांक: 32 :- भवन उपविधियों का संशोधन ।

प्रतिकरणा के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारों-

परान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- 1- उपविधियों में 125 से 185 नागरिक प्रति हैकटेयर घनत्व वाले क्षेत्र लक्ष्य नये आवादी वाले क्षेत्र में स्कोररॉटर 0.80 से बढ़ाकर 0.80 किया गया है ।
- 2- उपविधियों में 185 से 250 नागरिक प्रति हैकटेयर घनत्व वाले क्षेत्र में स्कोररॉटर 1.00 से बढ़ाकर 1.20 किया गया है ।
- 3- उपविधियों में 250 से 375 नागरिक प्रति हैकटेयर घनत्व वाले क्षेत्र में बढ़ाकर 1.50 किया गया है ।

.... /-

दून बेली आधिकार्य को आधरेटिब हाउसिंग सोसायटी द्वारा  
भू-विन्धास में संशोधन की प्रार्थना ।

हम मामले में विद्यारोपरान्त यह निष्पक्ष लिखा गया कि  
सोसायटी द्वारा स्वकीकृत भू-विन्धास मानचित्र से भिन्न भू-उपयोग बिना  
स्वीकृति के करने के कारण प्राधिकरण में उनके द्वारा उभा की गयी  
जमानत जब्त कर ली जाए । उदां तक प्रथम चरण में व्यवसायिक केन्द्र  
हेतु प्रदिष्ट भूमि को आवासीय उपयोग हेतु परिवर्तित करने का प्रश्न है,  
यह निष्पक्ष लिखा गया कि बसन्त बिहार आवासीय योजना के प्रथम चरण  
तक द्वितीय चरण दोनों भू-विन्धास मानचित्रों का मर्जे पर परीक्षण कर  
यह देखा जाए कि किस-किस भू-खण्डों का स्वकीकृत भू-उपयोग से भिन्न  
प्रयोग किया गया है और धाकों की क्या स्थिति है, और क्या धाक  
तथा खुला स्थान निर्धारित क्षेत्रका के अन्तर्भू है । अगली बैठक में हम संबंध  
में पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निष्पक्ष किया जायेगा ।

विषय क्रमांक: 34 :- तिब्बती बजार में निर्माणाधीन दुकानों के आवंटन  
की नीति-निर्धारण ।

यह निष्पक्ष हुआ कि इन दुकानों के प्राथम्य की  
नीलामी की जाए और पहले सिल्व आर्म्स प्राप्त किये जांर और बाद में  
यदि आवश्यकता हो तो खुली नीलामी की जाए , परन्तु दुकानों का  
सांखिक नकिरावा दि० 24-9-86 की बैठक द्वारा यचित सन्धित द्वारा  
किया जायेगा । यह भी निष्पक्ष हुआ कि इन दुकानों में राासन के वर्धमान  
फर्निचरों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुजन जाति विकलांगों आदि के लिये  
आरक्षण किया जाए और इन्हीं वर्गों के मध्य प्रथक से <sup>अनुसूचित</sup> ~~विकलांग~~ किया जाए।  
यह भी निष्पक्ष हुआ कि उक्त वर्ग के लिये <sup>अनुसूचित</sup> ~~विकलांग~~ हुर लो सामान्य वर्ग में  
नीलामी की जाए । नीलामी के सम्बन्ध में प्रस्तावित प्रक्रिया का भी  
अनुमोदन किया ~~जायेगा~~ <sup>जायेगा</sup> .

विषय क्रमांक : 25 :- वर्ष 1986-87 का पुनरीक्षण बजट ।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षित आष व व्यव अनुमान पर विचारपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया । प्राधिकरण को यह भी बताया गया कि शासन के बेलन बजट के हाल के निर्णय से बेलन बजट में 25 हजार रुपये अधिक व्यय होने का सम्भावना है ।

अधिसूचना की अनुमति से निम्नलिखित अनुपूरक विषयों पर भी विचार कर निर्णय लिये गये । :-

अनुपूरक विषय क्रमांक : 1 :- सनी स्टड कम्पनी द्वारा होटल के स्थल का अनुमोदन ।

हम स्थान पर होटल के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया गया परन्तु जिस भू-खण्ड पर निर्माण प्रस्तावित है, उसकी विशिष्ट स्थिति को देखते हुए मानचित्र स्वीकृत करने से पूर्व उपरोक्त सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराएँ ।

अनुपूरक विषय क्रमांक : 2 :- शासक विभाग के गेट नं० 658 आदि का भू-उपयोग शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालयों को आवासीय में परिवर्तित करना ।

चूंकि हम भूमि के पास के क्षेत्र में पहले ही कुछ भूकानों का निर्माण ही हुआ है । अतः यदि निर्णय लिया गया कि हम भूमि का उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने दिया जाए । तदनुसार/अग्रिम दो भूकानों पर निम्नलिखित कार्यवाही को जारूरी अथवा भी न्याय ।

अनुपूरक विषय क्रमांक : 3 :- नगर महायोजना में सड़कों की प्रस्तावित चौड़ाई

चूंकि जनरल महादेव सिंह रोड तथा राजपुर रोड के पास कुछ भूमि पर सड़क से मिली हुई पुरानी नहर स्थित है, जिस कारण सड़क की चौड़ाई हम तरफ नहीं बढ़ाई जा सकती । अतः यह निर्णय हुआ कि सड़क को महायोजना में निर्धारित चौड़ाई तक लाने के लिए दूसरी तरफ ही सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए ।

अनुपूरक विषय क्रमांक : 4 :- परियोजना में भू-विन्यास मानचित्रों का डिजाइन आदि तैयार करने हेतु कन्सल्टेंट की नियुक्ति ।

लक्षणा शैक तथा राजपुर रोड के दुर्बल आयु वर्ग के भवनों के डिजाइन के लिए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान सड़की द्वारा

153

की गयी 2 लाख रुपये की राशि बहुत अधिक पगबंदी गयी , हुंकि स्थानीय वास्तुविद से यह कार्य कराने में केवल 32 हजार रुपये ही व्यय होने का अनुमान है, जिसमें भवनों के ले-आउट, डिजाइन स्टीमेट ~~से~~ लेकर राश तक की प्राप्ति का कार्य प्राप्तिमल है । अतः निर्णय लिखा गया कि स्थानीय वास्तुविद को परियोजना के व्यय अनुमान की 0.85% कन्सल्टेन्सी शुल्क पर यह कार्य कराया जाय ।

अनुपूरक विषय क्रमांक: 5:- प्राधिकरण की योजनाओं हेतु राश प्राप्त करना ।

प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिखा गया कि दुर्बल आय वर्ष के भवनों के निर्माण के लिए 5हजार रुपये प्रति भकान की दर से, 4% इन्वन्समेंट्स काटकर बचत पर इलाहाबाद बैंक से राश ले लिखा जाय । यदि कोई अन्य व्यवसायिक बैंक इसके लिए तैयार हो तो उसे यह भी सुविधा दी जा सकती है । (15 हजार रुपये प्रति भकान की दर से) तथा हडको से भी राश लिये जाने का निर्णय हुआ ।

अनुपूरक विषय क्रमांक: 6:- होटल बनेगा के निर्माण स्थल का होटल के उपयोग हेतु अनुमोदन ।

श्री ध्वज से यह निर्णय हुआ कि उपाध्यक्ष कम स्थल का स्वयं निरीक्षण कर अगली बैठक में अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

अनुपूरक विषय क्रमांक: 7:- होटल सफल के निर्माण स्थल का अनुमोदन ।

श्री धवन ने xxxxxसे यह कहा कि मुख्य राजपुर रोड से जो लडके कम होटल के निर्माण स्थल तक जा रही है वह बिसली है, और उस पर कम होटल के निर्माणकार का क्या अधिकार है । यह निर्णय हुआ कि कम बिन्दु को स्पष्ट करते हुए अगली बैठक में आख्या प्रस्तुत की जाय ।

अनुपूरक विषय क्रमांक: 8:- प्राप्ति का न्यूनतम विचवती बाजार देहरादून ।

यह विषय मुख्य एजेन्डा में विषय क्रमांक 7 पर लिखे गये निर्णय से प्रभावित हो जाता है । अतः कम पर विचार नहीं किया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक: 9:— प्राधिकरण के इाइनर चरराजी व सिक्योरिटी गार्डों को बंदी व शस्त्र दिया जाना।

यह निर्णय हुआ कि नियमित वेतनभान में कार्यरत इाइनरों, चरराजियों व सिक्योरिटी गार्डों को शक्तिकालीन बंदी दी जाए और शतभनादेशा में निर्धारित धनराशि से अधिक जो व्यय होला हो उसे प्राधिकरण बहन करेगा।

बुंकि प्राधिकरण में प्रतिदिन काफी धनराशि उभा होती है और काफी लोगों का आना जाना रहता है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि गार्डों को प्राधिकरण के व्यव धर बन्दूक व कारतूस उपलब्ध कराये जाएं जो प्राधिकरण की सम्पत्ति होगी। तथा इन सिक्योरिटी गार्डों को शस्त्र के लाइसेन्स उपलब्ध कराये जाएं।

अनेक बैंक समाप्ति से पूर्व श्री दीरा सिंह बिबलट विधायक का धन दि० 2-12-86 प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने रदे डिग्रय विक्रम शुल्क की दरों, अनधिकृत फनसिंगों आदि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये। यह निर्णय हुआ कि इन सुझावों पर सचिव विक्रम प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए और कुल कार्रवाई तथा वस्तुस्थिति से अवगत बैंक में अवगत कराया जाए।

अन्त में आशुवर/अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए

बैंक समाप्ति हुई।

<i>S. Singh</i>	<i>Yash Singh</i>	<i>S. Singh</i>
1 सुडो गोवा में	उप अध्यक्ष,	आशुवर/अध्यक्ष,
सचिव, भूसुरी-देहरादून विकास प्राधि-	भूसुरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून	भूसुरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

31/11/86  
*S. Singh*  
 31/11/86  
 16/11/85

851

~~उपस्थित~~ उपस्थित

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16-2-87 की कार्यवाही दायी-  
गौर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

कृपया हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

*[Signature]*  
राजिब 16/2/87

*[Signature]*  
उपस्थित 15/2/87

*[Signature]*  
21/2/87